राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01552/2024

भवानी सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिय अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्त, जयपुर।
4. हैरिटेज जयपुर नगर निगम जरिये आयुक्त, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2024
आदेश की दिनांक : 26.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र वर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 23.11.2023 के उस आदेश को चुनौती देना चाहता है जिसके तहत अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। अपीलार्थी कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था और उसे प्रतिनियुक्ति पर नगर निगम, जयपुर भेजा गया था। दिनांक 23.11.2023 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को भ्रष्टाचार विरोधी मामले के कारण उक्त पद से निलंबित कर दिया गया था। (अनुलग्नक–1) दिनांक 6.12.1999 को अपीलार्थी को जिला जयपुर में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया। दिनांक 21.1.2017 को अपीलार्थी को नगर निगम, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था तथा जयपुर नगर निगम के विभाजन पर अपीलार्थी को नगर निगम हेरिटेज, जयपुर में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी पिछले 5 वर्षों से नगर निगम हेरिटेज, जयपुर में कांस्टेबल के पद पर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम कर रहा है। दिनांक 20.11.2023 को एक शिकायत के आधार पर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के साथ आईपीसी की धारा 120–बी के तहत एफआईआर संख्या 297/2023 दर्ज की। (अनुलग्नक–2) दिनांक 23.11.2023 के उक्त आदेश से

अपीलार्थी को निलम्बित कर दिया गया। (अनुलग्नक–1) इसके बाद अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर की और दिनांक 4.1.2024 के आदेश के तहत जमानत प्रदान की गई। दिनांक 8.12.2023 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थी के विरुद्ध बिना किसी आधार के प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2436/2024 में दिनांक 28.3.2024 के आदेश द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। (अनुलग्नक–3) दिनांक 07.02.2024 को अपीलार्थी ने अपीलार्थी के निलंबन को रद्द करने के लिए एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया। (अनुलग्नक–4) लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद भी एसीबी द्वारा आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और विभाग द्वारा कोई विभागीय आरोप पत्र भी नहीं दिया गया है। इसलिए अपीलार्थी को अनिश्चित काल तक निलंबित रखने का कोई कारण नहीं है। आज तक कोई विभागीय जांच शुरू नहीं की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अजय कुमार चौधरी बनाम यूओआई (रिपोर्ट 2015 (7) एससीसी 291) के मामले में माना है कि आपराधिक मामले में आरोप पत्र के अभाव में या विभागीय जांच शुरू न होने पर, कर्मचारी को 3 महीने से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आदेश दिनांक 23.11.2023 को अपास्त फरमाया जावे। साथ प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को नगर निगम हेरिटेज, जयपुर में कांस्टेबल के पद पर काम करने के लिए बहाल किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधन ब्यूरो में दर्ज अभियोग संख्या 297/2023 धारा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी आईपीसी ने ट्रैप कार्यवाही के दौरान अपीलकर्ता को दिनांक 18.11.2023 को गिरफ्तार किये जाने पर, राजस्थान, जनपद सेवाऐ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (2) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्थान सरकार कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.03.2023 में वर्णित दिशा निर्देशो के अधीन इस कार्यालय के आदेश संख्या 2106–10 दिनांक 23.11.2023 के द्वारा निलम्बित किया गया है। भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने और प्रकरण का चालान सक्षम न्यायालय में पेश होने की स्थिति में, और ऐसे प्रकरणों में राजस्थान सरकार कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 22.03.2023 के अन्तर्गत गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने और तत्पश्चात

गठित पुनर्विलोकन समिति द्वारा निलम्बन से बहाली के संबंध में निर्णय लिए जाने पर कार्मिक को निलम्बन से बहाल करने के प्रावधान सुनिश्चित किये गये है। अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपने पदस्थापन के सम्बन्ध में विभाग के सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन देना चाहिए था क्योंकि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा 4 (अ) के अन्तर्गत अभ्यावेदन के निस्तारण के उपरान्त ही मानीय अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर सकता है परन्तु अपीलार्थी ने उपरोक्त प्रावधान की पालना किये बिना ही, सीधे ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है। जबकि माननीय अधिकरण के निर्णय डा० सुभाष खोलिया बनाम राज्य सरकार व अन्य में स्पष्ट कर दिया है कि अपीलार्थी को अपील पेश करने से पूर्व विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देना चाहिए इसके उपरान्त ही अधिकरण के समक्ष अपील पेश सकता है। अजय कुमार चौधरी बनान यूओआई 2015 में रिपोर्ट की गई (7) एससीसी 291 के मामले में यह माना गया है कि, आपराधिक मामले में आरोप पत्र की अनुपस्थिति या विभागीय जाँच प्रारम्भ नहीं होने पर कर्मचारी को अनिश्चित काल तक निलम्बित नहीं रख जा सकता है। अपीलार्थी का यह तथ्य तर्क मान्नीय न्यायालय से संबंधित है। दिनांक 23.11.2023 का आदेश इस आधार पर रद किया जा सकता है कि यह सेवा न्याय शास्त्र के विरुद्ध है, जो यह प्रावधान कर्ता है कि यदि कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है तो किसी कर्मचारी को अनिश्चित काल तकलम्बित नहीं रखा जा सकता है। अपीलार्थी का अपील प्रतिवेदन में उक्त कथन संधारणीय नहीं है। क्योकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार करने पर ये कार्मिक को निलम्बन एवं निलम्बन से बहाल करने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख बिन्दु संख्या "C" में विस्तृत रूप से किया जा चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र कमांक सहा दिनाक 11.11.2019 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार अपीलकर्ता के विरूद्ध एसीबी प्रकरण के आरोपो से भिन्न आरोपो के संबंध में इस कार्यालय के पत्र कमांक 2175 दिनांक 08.12.2023 के द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय, पुलिस लाईन, आयुक्तालय जयपुर से प्राथमिक जाँच करवाई जा रही है। अतः अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने प्रत्यर्थी विभाग को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 23.11.2023 जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया है, के संबंध में अपील प्रस्तुत कर अपास्त किए जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा है कि निलंबन आदेश को जारी किए 3 माह से ज्यादा का समय हो गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी के प्रकरण में प्रतिबाधित सिद्वांत के आधार पर, को अपास्त किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.11.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 की शक्तियों के तहत निलंबन किया गया है और अपीलार्थी के विरूद्ध एसीबी प्रकरण के आरोपों से भिन्न आरोपों के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2175 दिनांक 08.12.2023 के द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय, पुलिस लाईन, आयुक्तालय जयपुर से प्राथमिक जांच करवाई जा रही है।

बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसके प्रकरण को गुणावगुण के निर्णय करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा गठित जांच समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने के निर्देश प्रदान किए जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता के निवेदन के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण को कार्मिक विभाग द्वारा गठित जांच समिति के समक्ष समस्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जावे ताकि सबंधिंत कमेटी द्वारा प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर अपीलार्थी को बहाल किए जाने के संबंध में समुचित निर्णय लिया जा सके। साथ ही यह भी निर्देश दिए जाते है कि समस्त कार्यवाही 2 माह की अवधि में संपादित कि जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी के निलंबन से बहाली के प्रकरण को किसी विशिष्ट निर्णित करने हेतु निर्देश प्रदान नहीं कर रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य